



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 16.11.2021

1- थाना कासना पुलिस द्वारा दुष्कर्म का आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15/11/2021 को थाना कासना पुलिस द्वारा दूर के रिश्ते में अपनी भतीजी लगने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त सिंहंराज जाटव पुत्र बदले निवासी ग्राम खानपुर, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सिरसा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 14/11/2021 को वादी द्वारा वादी की पुत्री के साथ उसके दूर के रिश्ते में चाचा लगने वाले अभियुक्त सिंहंराज जाटव के विरुद्ध दुष्कर्म करने के संबंध में थाना कासना पर तहरीर दी गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना कासना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

सिंहंराज जाटव पुत्र बदले निवासी ग्राम खानपुर, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 562/2021 धारा 376/506 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।



2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन की दुकान से लाखों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले 05 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 177 मोबाइल फोन (कीमत करीब 30 लाख 17 हजार रूपये), 01 एलसीडी, 01 डीवीआर, यूपीएस, घटना में प्रयुक्त कार हुण्डई आई-20, चोरी के 6000 रूपये नगद, 02 लोहे के सबल, 03 फर्जी नम्बर प्लेट, लोहे की लॉक तोडने की चाबी, नम्बर बदलने के लिए 02 रिंच, एक पेंचकस, 01 फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिप लगा हुआ, 01 फर्जी इन्सोरेंस सर्टिफिकेट, 01 फर्जी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 16.11.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 887/2021 धारा 380/457 भादवि का खुलासा करते हुए मोबाइल फोन की दुकान से लाखों के मोबाइल चोरी करने वाले 05 चोर 1.राशिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बडका, थाना रोजकामेव, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा, 2.इरफान पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम नहारपुर, थाना तावडू, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा, 3. सोहेल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बावला, थाना तावडू, जनपद नूहँ (मेवात) हरियाणा, 4.शाबिर उर्फ गीदड पुत्र शाहबुद्धीन निवासी ग्राम बावला, थाना तावडू, जनपद नूहँ (मेवात) हरियाणा, 5.हकमुद्धीन उर्फ हक्कू पुत्र फजरू निवासी ग्राम कांगरका, थाना तावडू, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा को थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड तिलपता गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 177 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनियों के (कीमत करीब 30 लाख 17 हजार रूपये), 01 रियल मी कम्पनी की एलसीडी, 01 डीवीआर सीपी प्लस कम्पनी, 01 यूपीएस ल्यूमिनस कम्पनी, घटना में प्रयुक्त कार हुण्डई आई-20 मैगना रंग सफेद नम्बर आरजे 40 टेम्प 2122, चोरी के 6000 रूपये नगद, 02 लोहे के सबल, 03 फर्जी नम्बर प्लेट, लोहे की लॉक तोडने की चाबी, नम्बर बदलने के लिए 02 रिंच, एक पेंचकस, 01 फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिप लगा हुआ, 01 फर्जी इन्सोरेंस सर्टिफिकेट, 01 फर्जी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.राशिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बडका, थाना रोजकामेव, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा।
- 2.इरफान पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम नहारपुर, थाना तावडू, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा।
3. सोहेल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बावला, थाना तावडू, जनपद नूहँ (मेवात) हरियाणा।
- 4.शाबिर उर्फ गीदड पुत्र शाहबुद्धीन निवासी ग्राम बावला, थाना तावडू, जनपद नूहँ (मेवात) हरियाणा।
- 5.हकमुद्धीन उर्फ हक्कू पुत्र फजरू निवासी ग्राम कांगरका, थाना तावडू, जिला नूहँ (मेवात) हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 887/2021 धारा 457/380 भादवि थाना सूरजपुर(बढ़ोत्तरी धारा 411/420/468/471/482 भादवि) बनाम राशिद, इरफान, सोहेल, शाबिर उर्फ गीदड, हकमुद्दीन उर्फ हुक्कू
- 2.मु0अ0सं0 911/2021 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सूरजपुर बनाम हकमुद्दीन उर्फ हक्कू
- 3.मु0अ0सं0 236/21 धारा 394/411/420 भादवि थाना छाता जिला मथुरा हकमुद्दीन उर्फ हक्कू
- 4.मु0अ0सं0 709/21 धारा 399/402 भादवि थाना कोसीकलाँ मथुरा हकमुद्दीन उर्फ हक्कू
- 5.मु0अ0सं0 710/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कोसीकलाँ मथुरा हकमुद्दीन उर्फ हक्कू

बरामदगी का विवरण:

- 1.चोरी के 177 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनियों के (कीमत करीब 30 लाख 17 हजार रूपये)
- 2.01 रियल मी कम्पनी की एलसीडी
- 3.01 डीवीआर सीपी प्लस कम्पनी
- 4.01 यूपीएस ल्यूमिनस कम्पनी
- 5.घटना में प्रयुक्त कार हुण्डई आई-20 मैगना रंग सफेद नम्बर आरजे 40 टेम्प 2122
- 6.चोरी के 6000 रूपये नगद
- 7.02 लोहे के सब्बल
- 8.03 फर्जी नम्बर प्लेट, लोहे की लॉक तोडने की चाबी
- 9.नम्बर बदलने के लिए 02 रिंच, एक पेंचकस
- 10.01 फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्तिफिकेट चिप लगा हुआ, 01 फर्जी इन्सोरेंस सर्तिफिकेट, 01 फर्जी प्रदूषण नियंत्रण सर्तिफिकेट
- 11.01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर



3- थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा कोल्लिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने एवं वीडियो बनाकर 05 लाख रूपये की माँग करने व पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.11.2021 को वादिया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर वर्तमान निवासी जीतराम त्यागी का मकान, भंगेल, थाना फेस-2 नोएडा के विरूद्ध वादिया की पुत्री को कोल्लिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने एवं वीडियो बनाकर 05 लाख रूपये की माँग करने व पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में थाना फेस-2 पर मु0अ0सं0 677/21 धारा 376,384,506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना फेस-2 पुलिस द्वारा दिनांक 16.11.2021 अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर वर्तमान निवासी जीतराम त्यागी का मकान, भंगेल, थाना फेस-2 नोएडा को उसके मूल निवास स्थान ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

प्रशान्त मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर वर्तमान निवासी जीतराम त्यागी का मकान, भंगेल, थाना फेस-2 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 677/2021 धारा 376/384/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

